



संख्या- /जी0एस0/शिक्षा/A4-8-2/2017

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :


देहरादून : दिनांक : 19 जुलाई, 2017

महोदय,

कृपया उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून के पत्रांक-23317, दिनांक 15-04-2015 तथा पत्रांक-26913, दिनांक 27-04-2016 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मा0 राज्यपाल/ कुलाधिपति जी द्वारा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (यथा अद्यतन संशोधित) के अध्याय-5 की धारा-24(2) के अधीन निम्न संस्थान/कॉलेज का स्तम्भ-2 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उनके सम्मुख वर्णित सीटों की प्रवेश क्षमता एवं अवधि हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान कर दी गई है-

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता प्रति सत्र(सीट)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4
श्री देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, गाम-मंडौन, पौधा, वाया-प्रेमनगर, देहरादून।	बी0फार्मेसी	60	शैक्षिक सत्र 2014-15, 2015-16 हेतु
	एम0फार्मा0-		
	फार्मास्यूटिकल्स	18	
	क्यालिटी एस्सुरेंस	18	
	एम0बी0ए0	60	

1. संस्थान/कॉलेज अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
2. संस्थान/कॉलेज को शुल्क एवं प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
3. कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
4. यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेंसी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. संस्थान द्वारा नियुक्त फौकल्टी स्टाफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
6. संस्थान के कैम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से संबंधित इसी प्रकार का कोर्स संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
7. सम्बद्धता हेतु शासन को उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावों में कामेयां परिलक्षित होने पर शिक्षण मण्डल के सदस्यों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।



क्रमशः.....2/-

8. विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के प्रवेश से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा नियामक संस्था/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फ़ैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में तकनीकी विश्वविद्यालय एवं निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फ़ैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों का पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक द्वारा संस्थान की मान्यता समाप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो शासन द्वारा सम्बन्धित कार्मिक/सक्षम अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

9. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक, प्रशासकीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के उल्लेख के साथ-साथ फ़ैकल्टी की शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताओं तथा उनके फोटोग्राफ्स भी प्रकाशित किये जायेंगे तथा उसकी एक हार्डकॉपी शासन को भी उपलब्ध कराते हुए, वेबसाइट के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।

10. छात्रों से विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित शुल्क भी लिया जायेगा यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

11. संस्थान में कार्यरत फ़ैकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप अनिवार्य रूप में क्रॉस चैक द्वारा उनके नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा/ तकनीकी शिक्षा द्वारा की जायेगी।

12. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 छात्र, छात्राओं को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।

13. पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात ही अग्रोत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की जायेगी, अन्यथा सम्बन्धित शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर अस्थाई सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

14. संस्थान द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं संबंधित विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होगी अन्यथा आगामी अस्थाई सम्बद्धता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)

कुलाधिपति के सचिव।

संख्या-1425 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A4-9-2/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, 27वां तल चन्द्रलोक बिल्डिंग, नई दिल्ली।
3. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. प्राचार्य/प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
5. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)

उप सचिव श्री राज्यपाल।

State Board of Technical Education
Via - Promote